कार्यालय वन संरक्षक /क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर
पत्रांक 665/14–10(FP/UP/Road/121197/2021)सहारनपुर, दिनांक 09.09.2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कांवड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि0मी0 चेनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर (मुजफ्फनगर वन प्रभाग) में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ (मेरठ वन प्रभाग) में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल–222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Road/121197/2021)

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/465 दिनांक–03.09.2022 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, मेरठ की पत्र संख्या–208/1–सी0 दिनांक–07.09.2022, प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक 902/13–1दिनांक 08.09.2022 तथा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर का पत्रांक 864/14–1(FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 09.09.2022

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कांवड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी कि0मी0 चेनेज 51.910 से 163.40 तक, जनपद मुजफ्फरनगर (सा0वा0 प्रभाग मुजफ्फरनगर) में 113.68 हे0 संरक्षित वन भूमि, जनपद–मेरठ (सा0वा0प्रभाग,मेरठ) में 84.6 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल– 222.98 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध, गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक–03.09.2022 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गयी है, जिसके कम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड(भवन) मेरठ के पत्र दिनांक 07.09.2022 (बिन्दु संख्या–1 व 2) एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर के पत्र दिनांक 08.09.2022 (बिन्दु संख्या–3) द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को सूचना प्रेषित की गयी तथा उक्त कम में प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09.09.2022 द्वारा निम्नवत सूचना/आख्या प्रेषित की गयी हैः–

S. No	Observation raised by MoEFF&CC	Compliances
1	2	3
1	The alignment change as was proposed in this office letter dated 04-1-2022 is explained as "The alignment remains the same, it is just shifted by 7.5 m along the canal" This need to be further clarified.	वांछित सूचना के कम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) मेरठ के पत्र दिनांक 07.09.2022 **(संलग्नक–1)** द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.01.2022 का पत्र, उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ की पत्र संख्या 08बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/433 दिनांक 06.10.2021 **(संलग्नक–2)** से प्राप्त निर्देशों के कम में प्रेषित किया गया था। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 2289/14–1 दिनांक 11.12.2021 **(संलग्नक–03)** जो वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर को प्रेषित किया गया एवं तत्कम में वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर के पत्रांक 1523/14–10दिनांक 11.12.2021 **(संलग्नक–4)** द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया, जिसके द्वारा संरेखण परिवर्तन प्रस्तावित किया गया था, प्रयोक्ता विभाग, लोक निर्माण विभाग की Alignment change हेतु कोई सहमति नहीं ली गयी थी, उक्त Alignment change का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा Technically कारणों से feasible नहीं पाया गया। लोक निर्माण विभाग द्वारा परिवर्तित प्रस्ताव पर कभी भी कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी। लोक निर्माण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग से प्राप्त NOC गंग नहर के समान्तर नहर की दांयी पटरी के डोला से 7.50 मी0 दूरी से संरेखण पर ही पातन हेतु वृक्षों की गणना वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गयी। अतः स्पष्ट है कि मूल प्रस्ताव के संरेखण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
2	No change in tree felling is proposed as there is no change in alignment. However this has to be ascertained in field as there is a shift of 7.5m.	अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु मूल प्रस्तावित संरेखण अपर गंग नहर की दांयी पटरी पर डोला से 7.5 मी0 समान्तर दूरी छोड़कर ही पातन होने वाले वृक्षों की गणना, वन विभाग द्वारा की गयी थी। वर्तमान में उपरोक्तानुसार मूल संरेखण में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण वृक्षों के पातन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3	Revised forest boundary map need to be provided to ascertain the status of CA land as non forest land.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर के पत्रांक दिनांक 08.09.2022 द्वारा निम्नवत अवगत कराया गया हैः– 1–ग्राम धौजरी में विज्ञप्ति संख्या–2097/14 दिनांक 19.5.1954 में धारा–4 हेतु 1848.99 एकड़ वन भूमि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या–4665/1–2–20(55) दिनांक 09.03.1973 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकवा 1848.99 एकड़ का धारा–20 हो चुका है एवं गाटा संख्या 303,

Scanned with CamScanner

		रकवा 4.9360 हे0 वन भूमि टेहरी बांध परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या 26/1 रकवा 30.20 हे0, 27/1 रकवा 90.50 हे0 एवं 302/2 रकवा 2.240 हे0 गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है परन्तु SOI Topo sheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि, वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। 2– ग्राम जाखलौन के बन्दगुढ़ा आरक्षित वन क्षेत्र के विज्ञप्ति संख्या 2097/14 दिनांक 19.5.1954 के अन्तर्गत धारा–4 हेतु 1438.31 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी, जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या–23(4)– 207/14– बी –68 दिनांक 24.09.1968 के अनुसार उक्त सम्पूर्ण रकवा 1438.31 एकड़ का धारा–20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या– 606 रकवा 20.30 हे0 गैर वन भूमि, वन क्षेत्र से बाहर है, परन्तु SOI Topos Sheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है जो कि त्रुटिपूर्ण है। 3– ग्राम बघोरा में विज्ञप्ति संख्या 3445/14–732 दिनांक 04.08.194 में धारा–4 हेतु 341.26 एकड़ प्राप्त हुई थी जिसके सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या 23(4)–75/14–बी–08 दिनांक 24.05.1988 के अनुसार कुल रकवा 334.28 एकड़ का धारा–20 हो चुका है। उक्त ग्राम में प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि जिसका गाटा संख्या 810 मि0 रकवा 8.282 हे0 एवं 817 रकवा 1.238 हे0, गैर वन भूमि वन क्षेत्र से बाहर है, परन्तु SOI Topo Sheet के अनुसार उक्त प्राप्त होने वाली गैर वन भूमि वन क्षेत्र में दर्शायी गयी है जो त्रुटिपूर्ण है। प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि डा0 पी0 कुवॅर, वैज्ञानिक, एस0एफ0 एवं प्रभागाध्यक्ष वन संसाधन एवं पारिस्थितिकीय प्रभाग (रिमोट सेन्सिगं एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 लखनऊ) से डिजिटल मैप उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु डिजिटल मैप अभी तक ललितपुर वन प्रभाग में प्राप्त नहीं हुये है। प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, ललितपुर द्वारा अनुरोध किया गया है कि विषयक प्रस्ताव को RAC में सम्मिलित जाय और डिजिटल मैप उपलब्ध होने के पश्चात शीघ्र प्रेषित कर दिया जायेगा **(संलग्नक–5)**

अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 03.09.2022 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण/लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड (बिल्डिग) मेरठ के संदर्भित पत्र दिनांक 07.09.2022(बिन्दु संख्या 1व 2) एवं प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, ललितपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 08.09.2022 (बिन्दु संख्या–3) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के कम मे प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, मुजफ्फरनगर के पत्रांक 864/14–1(FP/UP/Road/121197/2021) दिनांक 09.09.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना उक्तानुसार 3–3 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

पत्रांक 665 /14–10 (FP/UP/Road/121197/2021(दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद,मिर्जापुर एवं ललितपुर।
3– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1 लोक निर्माण विभाग, मेरठ।

(एन0के0जानू)
मुख्य वन संरक्षक
प्रभारी सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

Scanned with CamScanner